विहंगावलोकन

वर्ष 2010-11 के दौरान रक्षा सेवाओं के लिए किया गया कुल व्यय 1,58,723 करोड़ रूपए था। इसमें से, वायु सेना और नौसेना ने क्रमशः 38,782 करोड़ रूपए और 27,285 करोड़ रूपए खर्च किए। इन दोनों सेनाओं द्वारा किया गया संयुक्त व्यय रक्षा सेवाओं पर किए गए कुल व्यय का 41.62 प्रतिशत है। वायु सेना एवं नौसेना के व्यय का अधिकांश भाग पूंजीगत है,जो कुल व्यय का लगभग 61.66 प्रतिशत है।

इस प्रतिवेदन में वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक एवं सैन्य इंजीनियर सेवाओं के लेनदेन की नमूना लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष समाविष्ट हैं। इस प्रतिवेदन में समाविष्ट कुछ प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गयी है।

I. रक्षा ऑफसेट प्रबंधन

ऑफसेट एक ऐसी क्रियाविधि है, जिसमें विदेशी माल और सेवाओं की बड़ी खरीदारी में क्रेता देश के संसाधनों के उल्लेखनीय बहिर्गमन की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए क्रेता देश के उद्योग में या अनुसंधान एवं विकास कार्य आदि में निवेश करने हेतु विदेशी पूर्तिकर्ता को बाध्य किया जाता है। रक्षा हार्डवेयर में भारत एक बहुत बड़ा आयातक होने के बावजूद भी, ऑफसेट के कल्पित लाभ अर्जित नहीं कर सका।

हमारी जांच से पता चला कि 2007 और 2011 के बीच किए गए 18,444.56 करोड़ रूपए के 16 उपबंधो में से 3410.49 करोड़ रूपए मूल्य के पांच उपबंधों में भारतीय ऑफसेट भागीदारों (आई.ओ.पी.) के माध्यम से किसी मूल्य उत्कर्ष के बिना पूर्ण निर्मित उपस्कर को ऑफसेट के रूप में स्वीकार किया गया, जो रक्षा अधिप्राप्ति कार्यविधि में निर्धारित ऑफसेट प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। यह अधिकांशतः प्रस्तावित ऑफसेटों की वैधता अथवा अन्यथा के बारे में विभिन्न प्राधिकारियों की भिन्न व्याख्याओं के कारण था। कुछ मामलों में ऑफसेट के लिए चयनित भारतीय ऑफसेट भागीदार वैध नहीं थे। ऑफसेट उपबंधो के कार्यान्वयन के लिए होनेवाली निरीक्षण क्रियाविधि दुर्बल थी।

रक्षा मंत्रालय को ऑफसेट प्रावधानों की व्याख्या में स्पष्टता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसकी व्याख्या में संदिग्धता के लिए कोई स्थान न हो। ऑफसेट उपबंधों का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण क्रियाविधि का भी पुनरावलोकन किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.1)

II रेडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम की अधिप्राप्ति एवं युक्त करने में असाधारण विलम्ब

521 करोड़ रूपए का व्यय करने और सात वर्षों से अधिक के विलम्ब के बाद भी भारतीय वायु सेना उनके द्वारा वांछित भिन्न वायुयानों पर आधुनिक रेडार वार्निंग रिसीवर सिस्टमों के युक्ति का अभीष्ट लाभ प्राप्त करने में विफल रही। कुल 336 सिस्टमों में से, केवल 73 सिस्टमों को युक्त किया गया है। युक्त किये गये सिस्टमों का भी निष्पादन अधिकांशतः असंतोषजनक था। एक उन्नत सिस्टम का विकास करने तक अंतरिम उपाय के रूप में इन सिस्टमों को युक्त किया जा रहा है।

(पैराग्राफ 2.2)

III एक प्रणाली के अधिष्ठापन में असाधारण विलम्ब

भारतीय नौसेना की चार पनडुब्बियों पर चार प्रणाली 'क' के चालूकरण एवं सफल एकीकरण में एक दशक से अधिक के विलम्बों के कारण अड़चनें आई। इसलिए भारतीय नौसेना प्रणाली 'क' की अधिप्राप्ति/चालूकरण के लिए मार्च 2001 में किए 167.64 करोड़ रूपए के निवेश से कोई निश्चित लाभ प्राप्त नहीं कर सकी। अंततोगत्वा, 2011 तक केवल दो प्रणाली 'क' को सिद्ध किया जा सका, जिससे भारतीय नौसेना की संक्रियात्मक तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 2.3)

IV डॉर्नियर वायुयानों के लिए विद्युत प्रकाशीय उपकरणों की अधिप्राप्ति में परिहार्य अतिरिक्त व्यय

भारतीय नौसेना के डार्नियर वायुयानों के लिए रक्षा लोक क्षेत्र के उपक्रम से 15 विद्युत प्रकाशीय उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु मामले का प्रक्रमण करने में रक्षा मंत्रालय द्वारा विलम्बों के कारण 10.95 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ। संक्रियात्मक प्रकृति के उपकरणों की विलम्बित अधिप्राप्ति से पांच वर्षों से अधिक समय तक भारतीय नौसेना की क्षमताओं पर भी प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 2.4)

V विकल्प खंड का प्रयोग न करने के कारण ईंधन नौका की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय

ईंधन नौकाओं की आपूर्ति के लिए विद्यमान संविदा के विकल्प खंड के प्रावधानों का प्रयोग करने में भारतीय नौसना/रक्षा मंत्रालय की विफलता के कारण उनकी अनुवर्ती अधिप्राप्ति में 2.94 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.5)

VI अग्रिम भुगतानों पर उपार्जित ब्याज की वसूली

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर कोच्चिन शिपयार्ड से अव्ययित अग्रिमों पर प्रोद्भूत 28.78 करोड़ रूपए ब्याज की वसूली की गयी।

(पैराग्राफ 2.6)

VII संविदा करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

ओवरहाल/कुल तकनीकी सेवाकाल (टी.टी.एल.) विस्तारण संबंधी संविदागत प्रावधानों का पालन करने में भारतीय वायुसेना/रक्षा मंत्रालय की विफलता के कारण न केवल संविदा करने में विलम्ब हुआ, अपितु इसके परिरिणामस्वरूप 87.52 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

VIII वायुक्षेत्र प्रकाश हेतु प्रणालियों के संस्थापन में असाधारण विलम्ब

रणनीतिक महत्त्व के दो हवाई अड्डों में वायुक्षेत्र प्रकाश प्रणाली के संस्थापन में त्रुटिपूर्ण नियोजन तथा निर्माण कार्यों के निष्पादन से भारतीय वायु सेना की संक्रियात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 3.2)

IX अनुपयुक्त मार्गनिर्देशन कम्प्यूटर की अधिप्राप्ति

हेलिकॉप्टर 'क' हेतु मार्गनिर्देशन संगणक के क्रयादेश में उसकी भाग संख्या का सही उल्लेख करने में भारतीय नौसेना की विफलता के कारण 2.28 करोड़ रूपए की लागत पर दो मार्गनिर्देशन संगणकों की गलत अधिप्राप्ति करनी पड़ी।

(पैराग्राफ 4.1)

X एक महत्त्वपूर्ण परीक्षण सुविधा के सृजन को समकालिक बनाने में विफलता

एक महत्त्वपूर्ण परीक्षण सुविधा के सृजन को उपस्कर की अधिप्राप्ति के साथ समकालिक बनाने में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) की ओर से हुई विफलता के कारण 10.72 करोड़ रूपए मूल्य का परीक्षण उपस्कर तीन वर्षों से अधिक समय तक निरंतर अप्रयुक्त रहा। परीक्षण उपस्कर के संस्थापन के लिए संविदा करने में विलंब के परिणामस्वरूप 1.65 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

(पैराग्राफ 4.4)

XI सीकिंग रोटेबल्स की मरम्मत/ओवरहाल के लिए संविदा नहीं करना

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) द्वारा एक मरम्मत/ओवरहाल सुविधा का इष्टतम उपयोग करने में विफलता के कारण सीकिंग रोटेबल्स को 18.36 करोड़ रूपए की लागत पर मूल उपस्कर निर्माता (ओ.ई.एम.) के पास भेजना पड़ा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के रोटेबल्स की मरम्मत के लिए भारतीय नौसेना और एच.ए.एल. के बीच किसी संविदा के अभाव के कारण समयपूर्व विफल हो गए एक रोटेबल की मरम्मत/ओवरहाल के लिए 1.36 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय भी करना पड़ा।

(पैराग्राफ 4.6)

XII वायु कुशन यान की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होना

भारतीय तटरक्षक के लिए अक्टूबर 2010 में 223.36 करोड़ रूपए की लागत पर की गयी 12 वायु उपधान यानों की अधिप्राप्ति निर्धारित कार्यविधि के अनुरूप नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.) में प्रक्षिप्त आवश्यकताओं की तुलना में अति महत्त्वपूर्ण प्राचलों में कमी वाले यानों की अधिप्राप्ति करनी पड़ी तथा संभावित पूर्तिकर्ताओं को समान अवसर नहीं दिया गया।

(पैराग्राफ 5.1)